

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1838(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सं० आ० 228 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अंकलेश्वर इंडस्ट्रीयल एंड रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा अंकलेश्वर के आस पास के पचास गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद सुविधा के विकास और विस्तार (स्कूल भवन के निर्माण, शिक्षा केन्द्र और उपस्करों, चलते फिरते शिक्षा वाहन, उपस्करों, चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों अस्पताल भवन और व्यवसाय जनित बीमारियों की रोकथाम व इलाज और ग्राउंड ट्रैक तथा ओडिटोरियम/स्टेडियम सहित स्कूल में कमरों के माध्यम से) की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 19 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं० 218 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० 216 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० 162 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था; जिसे बाद में दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 894 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था;

और जबकि दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 894(अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 600.00 लाख रूपए से संशोधित करके 100 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 600.00 लाख रूपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तेरह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंकलेश्वर इंडस्ट्रीयल एंड रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा चलाई जा रही

अंकलेश्वर के आस पास पचास के गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद सुविधा के विकास और विस्तार (स्कूल भवन के निर्माण, शिक्षा केन्द्र और उपस्करों, चलते फिरते शिक्षा वाहन, उपस्करों, चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों अस्पताल भवन और व्यवसाय जनित बीमारियों की रोकथाम व इलाज और ग्राउंड ट्रैक तथा ओडिटोरियम/स्टेडियम सहित स्कूल में कमरों के माध्यम से की परियोजना या स्कीम को 100.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 600.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 305/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)